

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3525/2006/जयपुर सरकार बनाम श्योनारायण</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>14.05.26</p>	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य</p> <p>उपस्थित:- श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>1- यह रेफरेंस अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 29-09-2004 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, चौमूं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढोढसर तहसील चौमूं में स्थित भूमि आराजी ख.न. 190, 192, 75, 505, 191, 193, 194, 195, 196 एवं 205 कुल किता 10 रकबा 47 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 0.40 हैक्टेयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि गलती से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2010 से 2023 तक के खाता संख्या 561 से 565 पर कालम नम्बर चार में माफी मंदिर श्री गोपाल जी एहतमाम कॉलम नम्बर 4/5 में खुद काशत या उप कृषक के रूप में माफी मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल व रिकार्ड की स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज रही है लेकिन भूलवंश उनकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, वह विधि विरुद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर विवादित भूमि को पुनः माफी मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी के नाम अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए उभयपक्षों की</p>	

सुनवाई की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29-09-2004 द्वारा अनुशंसा करते हुए प्रकरण मण्डल को प्रेषित किया।

3- अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक सूचना पत्र प्रेषित करने उपरान्त वह मण्डल न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

4- विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

5- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि माफी मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी की थी, जिसे दौराने एकीकरण माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया तथा रेफरेन्स में अंकित आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, वह बिना किसी आधार व आदेश के किया गया है। माफी मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अतः विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

6- विद्वान राजकीय अभिभाषक के तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7- प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम ढेढसर तहसील चौमूं में स्थित भूमि आराजी ख.न. 190, 192, 75, 505, 191, 193, 194, 195, 196 एवं 205 कुल किता 10 रकबा 47 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 85 मिन रकबा 0.40 हैक्टेयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि गलती से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 से 2023 तक के खाता संख्या 561 से 565 पर कालम नम्बर चार में माफी मंदिर श्री गोपाल जी एहतमाम कॉलम नम्बर 4/5 में खुद काशत या उप कृषक के रूप में माफी मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल व रिकार्ड की स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज रही हे लेकिन भूलवंश उनकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार मंदिर माफी की भूमि का जो

हस्तांतरण हुआ है, वह विधि विरुद्ध होने के कारण वह अवैध है। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंदिर की खुदकाशत भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की ही खुदकाशत मानी जावेगी। केवल काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और यदि कृषक के कालम में खुदकाशत दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आराजी मूर्ति मंदिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

8- अतः यह रेफरेंस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण के खातेदारी के अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। रेफरेन्स में अंकित विवादित आराजी को पुनः 'मंदिर श्री गोपाल जी' के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। आदेश की सूचना अधिवक्ता को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

आदेश सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य